छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-17

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013
(फाल्गुन-21, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 तथा 06 से 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 03 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री बोधराम कंवर एवं डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 17 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री अजीत जोगी, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - मैं सभा को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मांगों पर चर्चा हेतु दिनांक 18 मार्च को अपराह्न 4.00 बजे तक का समय उपलब्ध है। शुक्रवार दिनांक 15 मार्च को अशासकीय कार्य भी होगा।

चर्चा हेतु केवल 4 दिन उपलब्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित 6 माननीय मंत्रियों की मांगों पर चर्चा होनी है, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सदन के नेता भी अपनी बातें रखेंगे।

अत: सभा की कार्यवाही प्रतिदिन निर्धारित कार्य को विचार में लेते हुए भोजन अवकाश स्थगित कर मांगों पर चर्चा हेतु निर्धारित दिनों में प्रतिदिन लगभग 2 घंटे या आवश्यकतानुसार समय हेतु सायं 5.30 बजे के पश्चात् भी जारी रहेगी। मैं समझता हूं सभा सहमत है।

मेरा समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा में उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि मांगों पर सार्थक चर्चा हो सके।

(सदन द्वारा सहमति दी गई)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, संतोष बाफना, सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) श्री रविन्द्र चौबे (अनुपस्थित), डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने बस्तर संभाग में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के आस्था केन्द्रों में सौर **उर्जा** के माध्यम से विद्युतीकरण किये जाने,

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने एनीकट निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(3) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से डायवर्सन किये जाने, तथा

(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने जिंदल पावर लिमिटेड के ब्रायलर में हादसा होने से चार मजदूरों की मौत होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री बैदूराम कश्यप, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7.वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के विभागों की मांगो पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्री विरेन्द्र कुमार साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, खेदूराम साहू, परेश बागबाहरा, नंदकुमार साहू, (डॉ) शिवकुमार डहरिया, देवजी पटेल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सौरभ सिंह।

श्री राजेश मूणत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने वन से संबंधित मांग संख्या 10 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-10 पर श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री अग्नि चंद्राकर, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री परेश बागबाहरा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री फूलचंद सिंह,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री खेदूराम साहू, अमरजीत भगत, बैदूराम कश्यप,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री सेवकराम नेताम, लखमा कवासी, श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, दूजराम बौद्ध, जगेश्वर राम भगत।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55, समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-55 पर डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-34 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, **मांग संख्या-43 पर** सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर) पीठासीन हुईं।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री दीपक कुमार पटेल, डॉ(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ.हरिदास भारद्वाज (चर्चा अपूर्ण)

रात्रि 8.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 13 मार्च, 2013 (फाल्गुन, 22 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा